UPPB010003202023

न्यायालय विशेष न्यायाधीश(एस0सी/एस0टी0 अधिनियम), पीलीभीत।

फौजदारी प्रकीर्ण वाद सं0.—02/2023

मुकदमा अपराध संख्या—281/2021

मीरा देवी **बनाम** गिरिश शंकर आदि।

अन्तर्गत धारा— 452, 376डी व 506,
भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा
3(2)5 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट
थाना—न्यूरिया, पीलीभीत।

दिनांक: 07.03.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर वादिनी अनुपस्थित। पत्रावली के अवलोकन से दर्शित है कि वादिनी के प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156(3) द.प्र.सं. पर इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.08.2021 के अनुपालन में थाना न्यूरिया की पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 18.08.2021 को अंतर्गत धारा— 452, 376डी, 506 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3(2)5 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट में अभियुक्तगण गिरीश शंकर व लल्लू जाति राजपूत के विरूद्ध दर्ज की गयी। मामले के विवेचक द्वारा दौरान विवेचना संकलित साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध न पाते हुए अंतिम रिपोर्ट सं. 36/2021 दिनांकित 23.10.2021 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी।

विवेचक द्वारा प्रेषित उक्त अंतिम रिपोर्ट के विरूद्ध वादिनी को कई बार नोटिस प्रेषित किये गये, परन्तु वादिनी द्वारा उक्त अंतिम रिपोर्ट के विरूद्ध आज तक प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादिनी न्यायालय में दिनांक 26.06.2023 से लगातार अनुपस्थित चल रही है। वादिनी को प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु पूर्व नियत तिथियों पर अंतिम अवसर भी दिया जा चुका है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादिनी को मामले की कार्यवाही संचालित करने में कोई रूचि नहीं है तथा न ही वादिनी मुकदमा लड़ना चाहती है। तद्नुसार विवेचक द्वारा प्रस्तुत अंतिम आख्या स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

विवेचक द्वारा मु0अ0सं0 281/2021 अंतर्गत धारा 452, 376डी व 506 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3(2)5 एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम में प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट सं. 36/2021 थाना न्यूरिया, जनपद पीलीभीत तद्नुसार स्वीकार की जाती है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(राम किशोर IV)
विशेष न्यायाधीश,
(एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम),
पीलीभीत।

Digitally signed by Ram Kishor
Date: 2026.03.07 16:11:11 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court